

पत्रांक-7/चश्मा वितरण-31-01/2018 114 (7) 01

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 13-03-19

विषय : मांग सं०-20-शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण -0012- महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड- 20- 2210061010012 के अन्तर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹2,78,43,200/- ( दो करोड़ अठहत्तर लाख तैतालिस हजार दो सौ ) रु. मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-1193(10) दिनांक-07.03.2019 के क्रम में विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अंतर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹2,78,43,200/- ( दो करोड़ अठहत्तर लाख तैतालिस हजार दो सौ )रुपये मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग सं०-20-शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण -0012- महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड- 20- 2210061010012 के अन्तर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।


6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाय। इसमें किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित सिविल सर्जन जिम्मेवार होंगे।

7. विभागीय राज्यादेश सं०-1193(10) दिनांक-07.03.2019 में निहित निदेश एवं शर्तों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

③

8. व्यय विवरणी/ उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए इसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 114(7)A

पटना, दिनांक : 13 - 03 - 19

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रिय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7,10 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।




सरकार के विशेष सचिव




उपबंध की स्थिति

क्रमांक	इकाई	कुल उपबंधित राशि	वर्तमान में कुल आवंटित राशि	अवशेष
1.	(21-01) सामग्री एवं पूर्तियाँ	30000000	27843200	2156800

( दो करोड़ अठहत्तर लाख तैतालिस हजार दो सौ ) रू0 मात्र



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-19 में महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड-  
20-2210061010012 निम्नवत जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रम	जिला का नाम	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3
1	शिवहर	1,23,500
2	अरवल	1,72,100
3	मुंगेर	3,02,400
4	लखीसराय	2,21,200
5	शेखपुरा	2,16,100
6	किशनगंज	2,02,500
7	बक्सर	3,40,200
8	बांका	4,86,700
9	कटिहार	5,21,700
10	सहरसा	5,80,000
11	जमुई	4,79,800
12	भागलपुर	6,09,300
13	सुपौल	6,66,600
14	जहानाबाद	3,36,300
15	बेगूसराय	6,31,900
16	वैशाली	13,85,400
17	मधेपुरा	7,59,500
18	गोपालगंज	6,60,800
19	कैमूर	6,27,500
20	अररिया	6,35,800
21	सिवान	7,34,500
22	भोजपुर	5,88,600
23	औरंगाबाद	8,41,000
24	मधुबनी	12,30,200
25	दरभंगा	12,41,400
26	पूर्वी चम्पारण	9,35,000
27	पूणियां	8,95,200
28	सारण	8,04,200
29	रोहतास	7,85,800
30	नालंदा	7,92,700
31	पश्चिम चम्पारण	11,07,200
32	नवादा	11,25,700
33	मुजफ्फरपुर	14,54,300
34	पटना	10,79,400
35	गया	15,54,500
36	समस्तीपुर	14,64,400
37	सीतामढ़ी	8,12,000
38	खगड़िया	4,37,800
	कुल योग:-	2,78,43,200/-

(दो करोड़ अठहत्तर लाख तैतालिस हजार दो सौ रूपये)

114(7)A

13-03-19

सरकार के विशेष सचिव ।  
विशेष